

फर्द अहकाम  
केरी बनाम नीराम कर्त

नाम न्यायालय

कस संख्या 142/12

फ.1.

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/6/18	क.स. उपर कस हेतु लमप-वाले हे पठावली कस कस दिनांक 15/7/18 को प्रेषित	
	15/7/18	क.स. उपर कस न. सुनी गयी पठावली कस सुनो कस व कस दिनांक 30/7/18 को प्रेषित	
	30/7/18	पठावली का अवलोकन किया गया कस पर मनन किया गया प्रकाश में दिनांक 10/10/12 को अन्तरेम आस्था निषेधाज्ञा जारी की गई है। पठावली के अवलोकन से साहचर्य प्रामाणिक है। के निधिक कारिसान काही व उलिकाही है. 2 के अलावा और भी पुरिया नही है। निचे प्रार्थी/कारी द्वारा प्रेषित आस्था निषेधाज्ञा का प्रेषण ले समय प्रसक्त नहीं बनाया गया है। के ना ही प्रेषण न. 1. अका वर्धन किया गया है। प्रामाणिक है। जो कि काही प्रार्थी का पिता है निचकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी/कारी द्वारा का मुा का प्रेषण प्रेषा किया गया है जिसमें पुरियो को कारिसा कलया गया है। प्रार्थी/कारी द्वारा अग्नि पुर्तनी लेना कलया है जिसमें प्रार्थी को भी एक अधिकार निर्दिष्ट होता है किन्तु पुरियो को प्रसक्त नहीं बनाया गया है इस प्रका प्रार्थी ने प्रेषण न. 1. स्वच्छ दायो है प्रेषा नहीं किया गया है प्रार्थी/कारी के पिता की मृत्यु हो चुकी है जिसका निरासत का नामागत भी शेका जाना है प्रकाश में काद काद लका रो कन के लिए प्रेषण न. 1. स्वीका किया जाना उचित प्रीत नहीं होगा। कल प्रेषण आस्था निषेधाज्ञा का आधीका किया जाका कारिसा किया जाता है पठावली के साथ अग्नि पुर्तनी के उन् चम्पा है कस हेतु प्रेषण के द साधक	

